



राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द

क्रमांक: प.14()/सहा0 /2025/536

दिनांक: 15/10/23

प्रेषित :-

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव
आपदा प्रबंधन, सहायता, एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- डीएमआईएस पोर्टल पर बजट आवंटन करने हेतु

प्रसंग:- डीएमआईएस पोर्टल पर प्राप्त आक्षेपों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि डीएमआईएस पोर्टल पर डिमाण्ड संख्या D/OREL/2025/09409 एवं D/OREL/2025/09278 द्वारा बजट आवंटन हेतु ऑनलाईन डिमाण्ड की गयी जो आक्षेप पूर्ति हेतु प्राप्त हुये हैं, जिनमें निम्नानुसार आक्षेप पूर्ति कर पुनः बजट आवंटन हेतु प्रेषित है।

1. डीएमआईएस पोर्टल पर जारी प्रशासनिक स्वीकृति संख्या AS/OREL/2082/RAJ/0010240 में तहसीलदार राजसमन्द की अनुशंशा एवं अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राजसमन्द की रिपोर्ट के आधार पर कच्चे मकान के गंभीर क्षतिग्रस्त होने पर 60,000/- अक्षरे साठ हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है।
2. डीएमआईएस पोर्टल पर जारी प्रशासनिक स्वीकृति संख्या AS/OREL/2082/RAJ/0010238 में तहसीलदार नाथद्वारा की अनुशंशा एवं अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग नाथद्वारा की रिपोर्ट के आधार पर 01 कच्चे मकान के गंभीर क्षतिग्रस्त होने पर 32,000/- अक्षरे बत्तीस हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है।
3. डीएमआईएस पोर्टल पर जारी प्रशासनिक स्वीकृति संख्या AS/OREL/2082/RAJ/0010132 में तहसीलदार राजसमन्द की अनुशंशा एवं अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग राजसमन्द की रिपोर्ट के आधार पर पहाडी क्षेत्र में 02 पक्के मकान के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने पर 2,60,000/- अक्षरे दो लाख साठ हजार रुपये (1,30,000 रुपये प्रति मकान) की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है।
4. डीएमआईएस पोर्टल पर जारी प्रशासनिक स्वीकृति संख्या AS/OREL/2082/RAJ/0010241 में बिफरजॉय तुफान के कारण वर्ष 2023 में एक पक्का मकान आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। इस कार्यालय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या 760-68 दिनांक 29.08.2023 के क्रम में पे मैनेजर रेफरेन्स नम्बर 47798532 दिनांक 04.09.2023 द्वारा प्रार्थी को भुगतान हेतु कोषालय प्रेषित किया गया लेकिन तकनीकी कारणों से वर्ष 2023-24 में प्रार्थी को भुगतान नहीं हो पाया। वर्ष 2024 में इस कार्यालय के पत्रांक 1379 दिनांक 03.09.2024 एवं 1500 दिनांक 26.12.2024 द्वारा बजट आवंटन चाहा गया लेकिन बजट आवंटन नहीं होने के कारण भुगतान नहीं हो पाया। इसलिए वर्ष 2025 में पुनः प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर बजट आवंटन चाहा गया है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Validity unknown Signature valid

Digitally signed by [Signature] Designation: Additional District Magistrate And Additional District Magistrate Date: 2025.10.15 14:09:03 IST Reason: Approved राजसमन्द



आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), राजसमन्द

क्रमांक: 97/011

दिनांक: 12/09/2025

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/2082/RAJ/0010238

प्रशासनिक स्वीकृति

तरसीलदार की आभारणा सहित प्राप्त निम्न अधी त्फान के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 33-3/2020 000-1 दिनांक 10.10.2022 अवधि 2022-2026 में राज्य आपदा मीचन निधि (0000) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार अधी त्फानसे पीडितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राधा के अनुसार आर्थिक सहायता करण में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीडित का पवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का पवरण	देय सहायता राधा
1	00/1000/2 025/09720 3	नाम: Banshi Lal Loharपिता का नाम: Amba वाजिला: राजसमन्द	छापर, छापर, नाथद्वारा, पंचायत समिति -खमनोर, ग्राम पंचायत -धायला, गाँव - धायला	26/05/2025	अधी त्फान	00 01 भू-चर्चा प्रकीर्ण धनीर क्षतिग्रस्त	32000
योग							32000

इस राधा का व्यय निम्न बजट मद से धर्या जायेगा :- 2245-02-113-(09)-105 J12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
राजसमन्द

